

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 04(02)ज.सं./2020

जयपुर, दिनांक : 02 MAR 2020

आदेश

श्री रामनारायण चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड पाली को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से "पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में" करते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्री चौधरी अपनी उपस्थिति अविलम्ब मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत करें।

आज्ञा से

ह

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हुए उक्त आदेशों की पालना तत्काल प्रभाव सुनिश्चित करावे।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।




(कैलाश चन्द मीणा)
अनुभागाधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ(1)/स्थाना./अनिस/अअप्रास/मुअजसं/2020/18 दिनांक :- 02/03/2020

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.04(02)ज0सं0/2020 दिनांक 02.03.2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर। कृपया आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्यालय एवं सम्बन्धित अधिकारी को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त पाली। कृपया आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्यालय एवं सम्बन्धित अधिकारी को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।
4. उपनिदेशक (एमआईएस) एस.पी.एम.यू., एन.एच.पी. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम), कार्यालय हाजा।
6. श्री रामनारायण चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, पाली।
7. संस्थापन अधिकारी, स्थापन अनुभाग-प्रथम, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।


02/03
अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा0स0
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर